संख्या- 357 /2024 /3095 /चार-2024-1857525

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 12 अक्टूबर, 2024**

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में पं0 सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला जी की जन्मस्थली गढ़ाकोला, उन्नाव में स्मृति भवन आदि का रख-रखाव एवं संचालन हेतु स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलसचिव, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-1225/ भा0सं0वि0वि0-1 (32)/2024 दिनांक 27 सितम्बर, 2024 में किये गये प्रस्ताव के क्रम में आपके पत्र संख्या-2034/सं0नि0-6(61)/2023-24, दिनांक 08 अक्टूबर, 2024 में उपलब्ध करायी गयी आख्या के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में 26-सूर्यकान्त त्रिपाठी ''निराला'' स्मृति पुस्तकालय एवं सभागार का रख-रखाव एवं संचालन -20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला" जी की जन्म स्थली ग्राम गढ़ाकोला, जनपद उन्नाव में भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा निराला शोधपीठ की स्थापना व संचालन तथा प्रस्तावित सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर होने वाले अनुमानित व्यय रू0 21.63 लाख (रू0 इक्कीस लाख तिरसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता के साथ आवश्यक कार्य वित्तीय नियमों का पालन करते हुए अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जायेगी।
3. वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि बजट के सबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ/संस्कृति निदेशालय का होगा।
5. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 13/2022/बी-1-45/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. पं0 सूर्यकान्त त्रिपाठी ''निराला'' गढ़ाकोला, उन्नाव के संचालन एवं रख-रखाव हेतु बजट बजट प्राविधान के सापेक्ष अगली किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाना होगा कि पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष एवं अप्रयुक्त शेष नहीं है।
8. पं0 सूर्यकान्त त्रिपाठी ''निराला'' गढ़ाकोला, उन्नाव के संचालन एवं रख-रखाव हेतु स्वीकृत /अवमुक्त अनुदान की धनराशि से सम्बन्धित स्थानीय लेखा परीक्षा/आडिट रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय से संबंधित बिल / बाउचर्स एवं सम्पूर्ण लेखा-जोखा सुरक्षित रखा जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि आहरित कर भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।
11. पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला" जी के जन्म स्थली ग्राम गढ़ाकोला, उन्नाव में भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92-के अधीन लेखाशीर्षक -2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-101-ललित कला शिक्षा-26- सूर्यकान्त त्रिपाठी ''निराला'' स्मृति पुस्तकालय एवं सभागार का रख-रखाव एवं संचालन -20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

<u>संख्या- 357 /2024 / 3095 (1)/चार-2024-1857525 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/ अध्यक्ष, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद, उन्नाव।
4- कुलसचिव, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
6- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।